

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2024/ 2355

दिनांक :- 19/11/2024

निमित्त :

श्री प्रकाश ग्वाल्लेरा पुत्र श्री दुर्गालाल ग्वाल्लेरा (मु.आम)
निवासी :- मकान नं० 5-ए-8, विज्ञान नगर,
कोटा (राज०)।

विषय :- ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नं० 987, 988 पार्ट (East-South), 992 (East-South) ग्राम नाबन्दा
उर्फ बड़गांव क्षेत्रफल 11440 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(177)नविदि 3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हेक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/10/2024 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरान्त योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि कोटा विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, प्लान लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कोटा विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 3 वर्ष तक रखरखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण कोटा विकास प्राधिकरण से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन कोटा विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, फेबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर जोरें पर लगाई जाते, जिसमें कोटा विकास प्राधिकरण में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि इनेन की सड़कें सड़कों से ऊपर हो सकें।

Signature is valid

Digitally signed by Kushal Kumar
Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.11.19 15:17:08 IST
Reason: Approved

- (10) नियमानुसार रैरा में पंजीकरण/भूखण्डों के विक्रय की कार्यवाही से पूर्व विकासकर्ता द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार मौके पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। मौके पर भूमि कम/अधिक अथवा किसी अन्य का कब्जा होने पर भूमि के आकृति/क्षेत्रफल आदि स्वीकृत ले-आउट से भिन्न होने पर यह स्वीकृति स्वतः ही विरस्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार संशोधित ले-आउट स्वीकृत/ अन्य कार्यवाही करवाई जानी होगी।
- (11) आंतरिक विकास कार्य के पेटे 12.5 % विक्रय योग्य भूखण्ड (भूखण्ड सं० 41 से 49 कुल भूखण्ड 09 क्षेत्रफल 9000 वर्गफीट) आरक्षित किये जाते हैं, जिनकी बुकिंग कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरंत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास कोटा विकास प्राधिकरण में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय विरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (12) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/दिशा-निर्देशों/आदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शन आदि के दृष्टिगत यदि किसी नियम की व्याख्या अथवा अन्य के दृष्टिगत कोई भुक्त/राशि देय होती है, तो प्राचीन हाथ उक्त राशि जमा कराई जानी होगी।
- (13) समय-समय पर राज्य सरकार एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा निवर्तमान शर्तों की पालना करनी होगी।
- (14) टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के समस्त प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
- (15) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जावे।
- (16) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति विरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

प्रतिलिपि :-

- 1- उप सचिव-....., कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....) कोटा विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवम् समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चतता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Kunal Kumar
Kothari
Designation : Secretary
Date: 2024.11.15.17:08 IST
Reason: Approved

PROPOSED LAY OUT PLAN OF RESEDENTIAL SCHEME(VRS VRINDAVAN CITY)

VILLAGE :-NANDNA URF BADGAON IN KHASRA NO.:- 987, 988(PART EAST SOUTH), 992(EAST SOUTH SIDE) TEH.:- LADPURA DIST. KOTA (RAJ.)



APPLICANT NAME /POWER OF ATTORNEY
PARKASH GWALERA S/O SH. DURGA LAL
VIGYAN NAGAR -KOTA
SHAMBHU DAYAL S/O SH. KISAN LAL
MEENA
141 - JOGIPARA , SHREE PURA

S.NO.	KH.NO-	AREA IN HECT.	PART AREA IN SQ.MT.
1	987	0.54	5400
2	988	0.61	4370
3	992	0.23	1670
TOTAL			11440

ले-आउट प्लान (अवसरीय प्रयोजनार्थ) खसरा नं० 987, 988 पार् (East-South), 992 (East-South) ग्राम नन्दना उर्फ बडगाँव क्षेत्रफल 11440 वर्गमीटर (Mark:-)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/10/2024 में विरोध गण निर्माणसुधार विभाग तहसी के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENTIAL	I.C.	PARK/MT/SWM	ROAD	TOTAL
63940 वर्गफीट	2554 वर्गफीट	6610 वर्गफीट	49990 वर्गफीट	123094 वर्गफीट
51.95 प्रतिशत	2.08 प्रतिशत	5.37 प्रतिशत	40.60 प्रतिशत	100 प्रतिशत

- योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं० 41 से 49 कुल भूखण्ड 09 क्षेत्रफल 9000 वर्गफीट आरक्षित किये जाते हैं, जिनसे 'अ' से 'दरिया' गया है। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।
- टाउनशिप पोर्सिटी-2010 एवं सम्य-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- योजना में दर्शाए अनुसार पार्क एवं पीपू रखा जाये।
- आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पोर्सिटी-2010 के अनुसार तकनीकी प्रस्तुत करने होंगे एवं तदनुसार विकास कार्य करवायेंगे।
- नगरीय विकास विभाग के पर क्रमांक प.3(77)नविधि/3/2009 पर्ट IV जखपूर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।
- नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/ दिशा-निर्देशों/परिचयों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- आई.सी. ब्लॉक का प्रत्येक से अलग मानचित्र/निरस्तुत मानचित्र अनुमोदन करवाया जाना होगा।
- उक्त ले-आउट प्लान RERA में पंजीयन करवाया जाये।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्याय, कोटा


नगर विकास न्याय, कोटा

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS

(Signature)
SIGNATURE
ARCHITECT/CIVIL ENGG.
NAME/ ADDRESS/ L.I.C. NO.



OWNER/ PRESIDENT/ SEC.
NAME/ ADDRESS
SIGNATURE



अवेदक ग्राम नन्दना उर्फ बडगाँव के खसरा नं० 987, 988 (आंशिक) 992 (आंशिक) का गैर-आवकण A से I तक 12 नाचिरे किया गया।
21.10.24
23.10.2024
नगरीय विकास विभाग

OTHER LAND

APPROCH ROAD SECTOR

MOHAN LAL SUKHADIYA AFFORDABLE

MOHAN LAL SUKHADIYA AFFORDABLE

TO BUNDI ROAD

LEFT MAIN CANAL

TO THERMAL CHOURAHA

U.I.T. SCHEME EXISTING ROAD 40'0"

U.I.T. SCHEME EXISTING ROAD

u.i.t. scheme